(g) whether Government propose to take some action in this regard ; and

(h) if so, details thereof and if not, reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA) : (a) to (h) Information is being collected and shall be laid on the Table of the House.

Eradication of Malaria

5675. SHRI RAHASBIHARI BARIK : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal for implementation of the National Malaria Eradication Programme (NMEP);

(b) if so, the steps taken in this direction ;

(c) whether any new scheme is proposed to be sponsored for the eradication of Malaria as the menace of mosquitoes causing Malaria has created a serious problem in the tribal areas: and

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) and (b) The National Malaria Eradication Programme is being implemented in the country since 1958.

(c) and (d) A project seeking external assistance for seven States having large tribal population viz. Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Orissa and Rajasthan is under formulation. In addition priority has been accorded to intensification of malaria control activities in the North Eastern States.

Marketing of Cineraria Martima Succus eye drops

5676. SHRI JAGIR SINGH DARD:
SHRI VIRENDRA KATARIA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the standard of Cineraria Martima Succus eye drops given in HPI is different from that being allowed for sale in the country;

(b) whether it is also a fact that companies belonging to the same group are the sole importers of the above eye drops from Germany; and

(c) what is the landed cost vis-a-vis market price of this medicine ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) H.P.I. includes standards for C.M.S. No standards are given in H.P.I. for Cineraria Martima Eye Drops—which is also sold in the country as per label claims.

(b) and (c) Information is being collected.

मियाद समाप्त हुई औषधियों की बिक्री

5677. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश के अनेक भागों में आवश्यक औषधियों को उनकी मियाद पूरी हो जाने के बाद भी बेचा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और इस पर रोक

लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सी. सिल्वेरा) (क) जी हां ।

(ख) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर अपराधी को कम से कम एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक की कैद तथा साथ में कम से कम 2,000/– रुपये तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है । राज्यों/संघ राज्यों के औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को नियमों के अन्तर्गत अपराधियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने के अनुदेश दिए जाते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुष्ठ रोग का फैलना

5678. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुष्ठ रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई सर्वेक्षण कराया है और दिल्ली के किस क्षेत्र में कुष्ठ रोगियों की संख्या सबसे अधिक है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुष्ठ रोगियों के लिए चलाए जा रहे निवारक कार्यक्रम अपर्याप्त हैं और अस्पतालों में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं का अभाव है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुष्ठ रोगियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) शाहदरा, नन्दनगरी और तहिरपुर में कुष्ठ रोगी अधिक हैं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कुष्ठ रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है। वर्ष 1994–95 के अंत तक दिल्ली सहित सारे देश में बहु-औषध चिकित्सा योजना सुलभ कराने का प्रस्ताव है।

इंदिरा कैम्प में औषधियों की बिक्री

5679. **श्री चतुरानन मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि चाणक्यपुरी पुलिस थाने के अन्तर्गत इन्दिरा कैम्प, बापू धाम, नई दिल्ली की एक झुग्गी से स्मैक, चरस, गांजा और शराब की खुले आम बिक्री की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसकी बिक्री और वितरण को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वहां से स्मैक आदि की बिक्री पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि स्मैक, चरस, गांजा और शराब की अवैध बिक्री से संबंधित 3 मामले 1993 में और 2 मामले 1994 में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। ये मामले इंदिरा कैम्प, बापू धाम, नई दिल्ली से संबंधित थे।

(ख) से (घ) पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा तथा मादक द्रव्य एवं अपराध निवारक प्रकोष्ठ को निदेश दिया गया है कि वे ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखें।